संख्या-1/2023/332/43-2-2023

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2023

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किए जाने हेतु विकसित किए गये वेब पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर अधिनियम की धारा 4(1)(बी) की सूचनाओं को अपलोड किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

मा० मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन प्राप्त किए जाने हेतु एक वेब पोर्टल www.rtionline.up.gov.in विकसित किया गया है । वेब पोर्टल पर राज्य सरकार के समस्त कार्यालय ऑनलाइन हो गए हैं ।

2- भारत सरकार द्वारा विभागों की वेबसाइट/पोर्टल को GIGW मानक के अनुरूप दिव्यांगजन हितैषी कराए जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तत्क्रम में दिनांक 20 जनवरी, 2023 को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के नवीन version 2.0 को लांच किया गया। पोर्टल के नए वर्जन को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के बिंदुओ का भी समावेश किया गया है ताकि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन करते समय 4(1)(बी) की भी सूचनाओं का अवलोकन किया जा सके।

3- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन में की गयी संस्तुति के परिपेक्ष्य में प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 24 मई, 2021 के द्वारा वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदनों/प्रथम अपीलों को प्राप्त किए जाने हेतु विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकरणो में नामित नोडल अधिकारियों को अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अतंर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु भी नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारियों के द्वारा ही वेब पोर्टल के नए वर्जन 2.0 पर उल्लिखित 4(1)(बी) के कॉलम में विभागीय सूचनाओं को अपलोड किया जाना है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों में आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल हेतु नामित नोडल अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे पोर्टल पर 4(1)(बी) के कॉलम में विभागीय सूचनाओं को अपलोड कराएं ताकि नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करते समय धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत अपलोड की सूचनाओं का अवलोकन किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

ह०/
(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in